

फर्द अहकाम


नाम न्यायालय:- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बस्सी

कमला

बनाम

गोविन्दा

ब्या 16/23

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
मस 23	<p>पत्रावली क्र. 100। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 व 2 के वकील उपस्थित। अप्रार्थी सं. 3 लगा 11 को रजिस्टर्ड नोटिस भेजे एक माह से आदेश का समर्थन हो गया है। तामिल समर्थन मानी जाती है। जो वकील सूचना आज उपस्थित है। अतः अप्रार्थी सं. 3 लगा 11 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही आज में लानी जाती है। वकील अप्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब प्रा. पत्र पेश किया गया है। जिसकी प्रति वकील प्रार्थी को दिखायी गयी। वकील अप्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी सं. 2 की ओर से जवाब पेश न करके प्रा. पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया। वकील पक्षकारान की उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं वकील पक्षकारान द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर की गयी बहस पर मनन करने के पश्चात् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11, 128, 131, 136 L.R Act आदेशित रविवार किया जाकर विवादित भूमि के संबंध में</p>	

अहमद
बस्सी जिल्ला-पायपूर

आमालगम अधिकांश लक्ष्य कर रही
 किया जायुक्त के द्वारा पारित अधिनियम
 निर्माण व डिक्री विनियम 4.7.16 के
 अनुसार उक्त विवादित भूमि के संबंध
 में तहसीलदार कर रही से प्राप्त
 विभाजन प्रस्ताव के संबंध में अनुसार
 संज्ञाएण किमे जाने के आदेश दिने
 जाते है। तहसीलदार कर रही को
 विभाजन प्रस्ताव की प्रति निम्नवासी
 जाकर आदेश दिया जाता है कि
 उक्त विवादित भूमि के संबंध में
 विभाजन प्रस्ताव के अनुसार साक्ष्य
 रिकार्ड को सुरक्षित किया जावे।
 उक्तानुसार पालना हेतु तहसीलदार
 कर रही को सूचित जारी है। पत्रावली
 क्रमांक 100/2018 एंकर दृष्ट नगर से
 की है।

(Signature)
 तहसीलदार

(Faint bleed-through text from the reverse side of the page)